

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 294 / 17

निर्णय दिनांक: 16-11-17

1. भगवतीदेवी पत्नी आसूराम जाति नाई निवासी गांधी चौक तहसील नोखा जिला बीकानेर।



अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-05-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24-05-2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही आवंटनशुदा रकबा भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 1-2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 142/22 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही मोडेत्र खॉ पुत्र फने खॉ जाति ढाढी साकिन केसरदेसर को आवंटनशुदा भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है।



अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 13-09-17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्थान सरकार
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 13-09-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांत द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर चक 1-2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 142/22 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन सलाहकार समिति से किया गया। किन्तु अपीलांत के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया।

(3) अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार पूगल कर रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि पूर्व में ही मोड़े खों पुत्र पन्नेखों साकिन केसरदेसर तहसील व जिला बीकानेर को आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांत का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर व उचित भूमि का नहीं किया जाना साबित है।

(4) जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांत को सामान्य की पात्रता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। अपीलांत को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा थी। अपीलांत को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जाँच ही दिनांक 24-05-2003 को आवंटन किया गया था।

(5) अपीलांत को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता।

अपील अधिकारी
बीकानेर

(6) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने अधिकारी है।



7.

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए उसी किस्म की अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8.

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्थान उच्च न्यायालय अधिकारी
बीकानेर